शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh Online Available at https:// www.shodhutkarsh.com ISSN-2993-4648
वर्ष - 03 अंक– 12 अक्टूबर - दिसंबर - 2025 Impact factor– 03

मातृ भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व

डॉ. निर्मल चक्रधर
सहायक प्राध्यापक- हिन्दी
माता जीजाबाई शासकीय (स्वशासी) स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर

संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है-

"अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

अर्थात- लक्ष्मण ! यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। (क्योंकि) जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं।"[1]

इस सुंदर पद के निहतार्थ में यदि हम विचार करें तो जननी और जन्मभूमि से संबंधित मातृ भाषा का महत्व सहज ही समझा जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भी जननी और मातृभूमि का महत्व अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को समझाते हैं। ऐसे में यदि हम सभी मातृ भाषा और मातृ बोली की आवश्यकता व महत्व को न समझ पाएँ, तो यह अज्ञानता ही माना जायेगा।

" 'भारत दुर्दशा' जैसे निबंध लिखकर इस देश को जगाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल ॥
अंग्रेजी पढिके जदपि, सब गुन होत प्रबीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ॥
विविध कला, शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहु, निज भाषा माँहि प्रचार ॥"[2]

मातृभाषा (Mother Tongue) एवं बोली (Dialect) का महत्व मनुष्यों के बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विरासत और भावना के तल पर आपसी जुड़ाव से संबद्ध है। मातृ बोली और भाषा का प्रयोग हमें अपनी आदिम जड़ों, पारिवारिक, सामाजिक संस्कारों और प्राचीन विरासतों से जोड़कर रखती है। यह हमें युक्तियुक्त सोचने-समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। साथ ही अपनी बहुआयामी संस्कृति व समृद्ध परंपराओं को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने संबंधी प्रभावी माध्यम के रूप में कारगर भूमिका का निर्वहन करती है। यह किसी भी राष्ट्र और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। मातृभाषा और बोली के अधिकाधिक इस्तेमाल से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होता है एवं उसकी आत्म-चेतना प्रबल होती है।

मातृभाषा एवं बोलियों के संरक्षण की आवश्यकता-

हमारी पहचान और संस्कृति का परिचायक- यह हमारी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी अस्मिता का बोध कराती है एवं क्षेत्रीय वैशिष्ट्य का परिचायक होती है। यह हमें अपनी प्रचीन सभ्यता, परम्परागत रीति-रिवाजों और समृद्ध इतिहास से जोड़ती है, जिससे हमारी बहुआयामी सांस्कृतिक धरोहर सदैव सुरक्षित रहती है। ये बोली,भाषाएँ पुरातन ज्ञान, प्राचीन रीति-रिवाजों एवं समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं का खजाना होती हैं, जिन्हें संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए समुचित प्रयास आवश्यक है। अपनी भाषा बोलने से व्यक्ति अपनी जड़ों और विरासत से भावनात्मक रूप से जुड़ता है, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है।

संज्ञानात्मक जानकारी व बौद्धिक अभिक्षमता का परिचायक- एक बच्चा अपने परिवार एवं आसपास के परिवेश से जो बोली, भाषा सर्वप्रथम सीखता है, उसी भाषायी ज्ञान को वह आदर्श रूप में ग्रहण करके संरक्षित रखता है। यह उसकी भावी सोच का मार्ग प्रशस्त करती है और विशिष्ट कौशल का संवर्धन करती है।साथ हो द्विभाषी होने की स्थिति में व्यक्ति की संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं वैचारिक क्षमताएँ बढ़ती हैं। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से बच्चों के लिए सीखने का सुदृढ आधार प्रदान करता है, जिससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास बेहतर होता है।

भावनात्मक जुड़ाव- मातृभाषा एवं बोलियों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, विचारों और पीड़ाओं को सहजता से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों एवं समाज से गहराई से जुड़ पाता है। यह निजी भावनाओं, मनोविकारों यथा; प्रेम, दया, करुणा, सद्भावना इत्यादि को अभिव्यक्त करने और समझने में मदद करती है, जिससे भावानात्मक साझेदारी को बढ़ावा मिलता है।

आपसी समन्वय, संतुलन एवं संचार व्यवस्था में बढ़ोत्तरी- विविध क्षेत्रीय भाषाएँ लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों से प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करती हैं, जिससे सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न लोक कलाओं, लोक गीतों एवं लोक नृत्यों के द्वारा राष्ट्र की समुन्नत समावेशी सांस्कृतिक अभिक्षमता में श्रीवृद्धि होती है। सांस्कृतिक समन्वय, क्षेत्रीय संतुलन एवं सुचारू संचार व्यवस्था के लिए भाषा महत्वपूर्ण आयाम होती है। मोबाइल पर कॉल करने से हमें उस क्षेत्र की भाषा में ही वाक् संदेश प्राप्त होने लगता है कि संबंधित व्यक्ति बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। यह समुदायों के बीच आपसी बंधन को मजबूत करती है और अधिक समावेशी समाज का निर्माण करती है।

शिक्षा और शासन व्यवस्था में सहायक- महात्मा गांधी ने 20 अक्टूबर, 1917 को गुजरात के भड़ौच में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में कहा था - "विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, वह असह्य है। यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, वे दूसरा बोझ उठाने लायक नहीं रह जाते हैं। इससे हमारे स्नातक अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। इससे हम नयी योजनाएं नहीं बना सकते हैं और यदि बनाते हैं, तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं।"[3]

मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। "मातृभाषा में सीखने के अनेक लाभ हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम, जब विषय आपकी मातृभाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें समझना और आत्मसात करना अत्यंत सरल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भाषा की शब्दावली और संरचना की अच्छी समझ होती है, जिससे आप पढ़ाए जा रहे विषय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, न कि शब्दों या वाक्यांशों का मन ही मन अनुवाद करने में समय बर्बाद करते हैं। इसके अतिरिक्त मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने से आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और बेहतर स्मृति को बढ़ावा मिलता है। यह छात्रों को खुलकर अपनी बात कहने, प्रश्न पूछने और गलतियों के भय के बिना चर्चाओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इससे कक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ती है और शैक्षणिक प्रदर्शन में

सुधार होता है।"4 लोकतंत्र में सहज रूप से आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शासन तंत्र एवं विधायिका में मातृभाषा का प्रयोग आवश्यक है, जिससे विधि और शासन तक सबकी सहज सुलभता संभव हो सके। शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा में होने से विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है अपितु इससे शिक्षक-विद्यार्थी संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग को निर्धारित करता है। नई शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को विशेष महत्व दिया गया है । मातृभाषा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के संदर्भ में 'नई शिक्षा नीति-2020 के निर्धारक समिति की गंभीरता का आकलन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि कुल 24 अध्यायों में विभाजित इस नीति के महत्वपूर्ण दो अध्याय मातृभाषा, शिक्षण माध्यम की भाषा एवं अनुवाद से संबंधित है। इसके साथ ही भारत की लुप्तप्राय भाषाओं को सहेजने की सार्थक गंभीर चिंता भी पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारकों में दृष्टिगोचर हुई। इस नीति के अध्याय-4 एवं अध्याय-22 में ही शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषाओं की अनिवार्यता, विविध भाषाओं का संरक्षण, संवर्द्धन तथा अनुवाद कार्य के लिए समन्वित नीति निर्धारण के उपबंध समाहित किए गए । अध्याय-4 में मातृभाषा एवं/अथवा स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए यथासंभव क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का समुचित माध्यम बनाया जाना विनिर्धारित किया गया है। अध्याय-22 में सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त उन भाषाओं से संबंधित कला और संस्कृति के संवर्धन करने की बात कही गई है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिकता को वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नीति के अध्याय-22 में स्पष्ट है कि हमारी समृद्ध प्राचीन संस्कृति के सतत संरक्षण, समन्वित संवर्धन और समुचित प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति से सुसंबद्ध भाषाओं की खोई हुई गरिमा को पुनः प्रतिस्थापित करना होगा । इसके लिए सार्थक रूप से पहली बार इस नई शिक्षा नीति में लुप्त हो चुकी और लुप्त प्राय भाषाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है। इसमें इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है कि देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। युनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। इनके अतिरिक्त आज भी अनेक विभिन्न बोली, भाषाएँ लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं। यदि शिक्षा प्रणाली बहुभाषी होगी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, तो काफी हद तक इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। किसी भाषा के विलुप्त होने से पूरे समाज को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है । हजारों वर्षों में सहेजी गयी भाषायी विरासत और शाब्दिक धरोहर नष्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में लें तो आदिवासी समाज की भाषाएँ आज सर्वाधिक हाशिए पर हैं और इन भाषाओं में अभिव्यक्त प्रकृति विषयक शब्द एवं अन्य विविध ज्ञान के भंडार का यदि संरक्षण नहीं होगा तो भाषा विलुप्त होने के साथ ही उससे जुड़ा ज्ञान भी स्वतः लुप्त हो जाएगा । इस तरह अंततः आदिवासी संस्कृति का समूचा अस्तित्त्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

इसी अध्याय में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में समन्वित भाषाओं के समक्ष आसन्न संकट की बात भी उठायी गयी है । ये भाषाएँ भी अस्तित्व बनाये रखने संबंधी संकटों का सामना कर रही हैं। हमारी समस्त भाषाओं को कठिन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए और उन्हें जीवंत और समयानुकूल बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय सार्थक प्रयासों एवं सतत व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रवाह बनाए रखने की सिफारिश भी इस नीति में की गयी है। समसामयिक स्थितियों एवं परम्परागत अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता बनाए रखने के लिए इन सभी भाषाओं के शब्दकोश और शब्द भंडार को लगातार अद्यतन करने एवं निरंतर प्रासंगिकता प्रदान करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। ऐसा ही कार्य दुनिया के प्रायः अधिकांश देशों द्वारा अपनी भाषाओं की अस्मिता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कहें तो इस दिशा में अत्यंत मंथर गति से काम हुआ है । इसीलिए नई संकल्पनाओं,अवधारणाओं एवं प्रयोजनीयताओं को भारतीय भाषाओं में व्यक्त करने में समस्याएँ होती रही हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जन समुदायों की मातृ भाषाओं के संरक्षण से संबंधित भाषाओं और उनसे जुड़ी सरस संस्कृतियों को सहज ही बचाया जा सकता है। जागरूक राष्ट्र के लिए समाज के बहुभाषिक स्वरूप को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। इसलिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा में शिक्षण कार्य को प्रमुखता दी गई है। नयी शिक्षा नीति को लेकर आयोजित किये गए एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नई शिक्षा नीति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि 'ये नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। पूरे भारत को नयी शिक्षा नीति से बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। समाज, राज्य और राष्ट्र का आधार- विविध बोलियाँ और भाषाएँ अनेकता में एकता की राष्ट्रीय भावना का निदर्शन कराती है। भारत जैसे बहुभाषी, बहु आयामी, विविध संस्कृति एवं विभिन्न आचार-व्यवहार वाले देश के लिए अपनी तमाम बोलियों एवं भाषाओं की गरिमा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ।

वस्तुतः मातृभाषा सिर्फ़ एक भाषा नहीं है बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएँ, हमारी अस्मिता और वैयक्तिक गरिमा का सहज परिचायक है। इसे अंगीकार करना, सतत संरक्षित और संवर्धित करना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संतुलित और समग्र विकास के लिए अनिवार्य है ।

****

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. वाल्मीकि रामायण, Wikipedia https://hi.wikipedia.org जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
2. निशा पाण्डेय ,अध्यापिका ,Aurum The Global School, https:// aurumschool.com, मातृभाषा (हिंदी) का महत्त्व
3. दिलीप कुमार सिंह, प्रबंधक (राजभाषा),भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद, Kurukh Times, https://kurukhtimes.com, नयी शिक्षा नीति और मातृभाषाएं
4. Language Unlimited, https://www.languagesunlimited.com मातृभाषा की शक्ति: भाषा सीखने और समझने पर इसका प्रभाव। - लैंग्वेज अनलिमिटेड